[Shri M. P. Bhargava]
and they will add to my strength in the field of work outside this House.

I have to say two things particularly. One is about the staff. The loyal service the staff of the Rajya Sabha Secretariat gives to the Members is something to be proud of and something which we should always try to carry on in the right lines. During the past two or three years I was pained to see that some hon. Members tried to impute motives in the working of the staff members of the Rajya Sabha Secretariat. I can tell all the hon. Members of this House that the Rajya Sabha Secretariat is one of the finest secretariats I have come across in the world and I have had occasion to visit many Parliaments of the world during my membership of the House. Let us all try to preserve the high standards of service of the Rajya Sabha Secretariat ; we should not in our moments of sentiments of personal prejudices try to blame the Secretariat staff who are very much overworked, who are very much hardworked, and who try to do their utmost for the service of the nation and to help the working of the Members of Parliament. This is one aspect to which I wanted to draw the attention of the House.

There is another aspect to which I wanted to draw the attention of the House and that is a very painful aspect. Democracy, as the House knows, is government of the people, for the people and by the people. I am sorry to say that democracy is gradually changing its definition and if these trends are not controlled within a short time the definition of democracy will change and will become government of the rich, for the rich and for the detriment of the people and the poorer sections of the country. I would like the House to take note of this fact. We must bring some legislation which will prevent the power of the moneyed people to purchase the voters. If we analyse the biennial elections to this House this year and the two previous biennial elections we come to only one and one conclusion that there is a tendency for the rich people to corrupt the legislators and purchase their votes and find a backdoor entry to this House. This tendency has to be curbed if our democracy is to be preserved and I would like every person who will continue to be a Member here to apply his mind to this very serious aspect and do whatever is possible to see that no body in future is returned to this august House by the power of money.

These are the two things I wanted to bring to the notice of this House. I am really very greatful to you, Sir, and to all the Members for all the co-operation and support which I have received during fourteen years of my membership and that was all the strength I derived.

Thank you.

PAPER LAID ON THE TABLE

THE FIRST AMENDMENT OF 1970 TO THE INDIAN POLICE SERVICE (PAY) RULES, 1954

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY): Sir, I beg to lay on the Table, under sub-section (2) of section 3 of the All India Services Act, 1951, a copy of the Ministry of Home Affairs Notification G.S.R. No. 409, dated the 19th January, 1970 (in English and Hindi), publishing the First Amendment of 1970 to the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954. [Placed in Library, *see* No. LT-3077/70]

CLARIFICATIONS IN RELATION TO THE STATEMENT LAID ON THE TABLE RELATING TO THE UNION GOVERNMENT'S POLICY ON COW SLAUGHTER IN TERMS OF ARTICLE 48 OF THE CONSTITUTION

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान) : सभापति जी, खाद्य मंत्री जी के द्वारा जो वक्तव्य रखा गया है उसके बारे में मैं भी जानकारी करना चाहता हूं कि जब सरकार ने अपने वक्तव्य में यह कहा है ।

"The Government of India took up with State Governments and Union territories the question of making law

where it did not exist to prohibit cow slaughter in accordance with article 48 *as interpreted by the Supreme Court.*"

सुप्रीम कोर्ट की मंशा के अनुसार आर्टिकल 48 के अन्तर्गत काम करने का तो अधिकार सरकार को है, सरकार उसके अनुसार काम कर रही है। जब एक कमेटी नियुक्त की गई तो कमेटी नियुक्त करने का अर्थ ही यही था, जैसा कि इसमें लिखा है–

"appropriate practical steps for the protection of cows, calves, bulls and bullocks."

गोरक्षा महाअभियान समिति के सदस्यों द्वारा जिस बात पर आपत्ति उठाई गई और उन्होंने इस कमेटी में काम करने से इन्कार किया वह इस अर्थ पर था कि अब उन्हें कहा गया कि इस कमेटी की नियुक्ति पूर्ण रूप से गोहत्याबन्दी के लिए कौन से मार्ग अपनाएं जायें और अगर संविधान में संशोधन की आवश्यकता हो तो उसके लिये कौन से सुझाव दिए जायें इसी काम के लिए सीमित हो। इसलिए उन्होंने समिति में रहने की आवश्यकता नहीं समझी। इसमें आपने अपील की है उन सदस्यों से फिर से कमेटी में आने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि सरकार इस चीज को स्पष्ट करे। उस कमेटी का अर्थ और उस कमेटी की नियुक्ति तभी सिद्ध होगी जब पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने की मांग पर ही वे विचार करे, दूसरे विचार का स्कोप इससे बाहर समझे इस संबंध में सरकार का क्या मत है?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम): यह प्रश्न नया नहीं उठा है। जब कमेटी का गठन किया गया और टर्म्स आफ रेफरेंस बनाने का प्रश्न था तो फरवरी के वक्तव्य के आधार पर टर्म्स आफ रेफरेंस बनाए गए। बनाने के वक्त महाअभियान समिति के कुछ सदस्यों से बातचीत करके उसको अन्तिम रूप दिया गया था। जब इस कमेटी की आरम्भिक बैठक हुई तभी यह प्रश्न उठा था कि टर्म्स आफ रेफरेंस का अर्थ क्या है और उसके सम्बन्ध में गोरक्षा समिति की तरफ से सरकार को लिखा गया और हमने अपनी तरफ से उसका जवाब दे दिया कि टर्म्स आफ रेफरेंस में है।

"Cow protection including proposals for total prohibition of cow slaughter, amendment of the Constitution and also to consider proposals from others."

जो पत्राचार हुआ उसमें यह है। जब हमारी तरफ से उसका खुलासा करके भेज दिया गया तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि उस खुलासे से समिति को सन्तोष हो गया क्योंकि उस खुलासे के बाद समिति एक साल तक बैठती रही। उसके बाद दुबारा उनके यहां प्रश्न उठा और उस वक्त फिर चेयरमैन की और सदस्यों की भी राय हुई कि सरकार के पास दुबारा खुलासे के लिये भेजने की आवश्यकता नहीं है। अब केवल टर्म्स आफ रेफ्रेंस को लेकर मतभेद था या और कोई था, यह मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं वहां नहीं था। जैसा मैंने कहा, खुलासा हमारी तरफ से गया था और उस खुलासे को मैं ऐसा मानता हूं कि समिति ने संतोषप्रद समझा क्योंकि उस समय उन्होंने इस समिति से अलग हो जाने की बात नहीं कही। मैं यह कहना चाहता था कि गौ और उसके प्रोजिनी—वंश—का वध बिलकुल बंद कर दिया जाय और उस रोक के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है तो वह समिति के विचारणीय विषय के बाहर नहीं है। मेरा बराबर यही अनुरोध रहा है समिति के सदस्यों से। किसी भी समिति की बैठक में कोई यह पहले से तय कर ले कि सर्वसम्मति से सिफारिश होगी तभी हम इस समिति में बैठेंगे अन्यथा नहीं बैठेंगे तो यह समिति की कार्यप्रणाली के लिए अजीब सी बात हो जाती है।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: स्कोप के बारे में तो एक मत हो जाना चाहिए कि बैन लगाया जाय या नहीं लगाया जाय, इस पर विचार

[श्री सुन्दरसिंह भंडारी]

करेंगे या बैन लगाने के लिए क्या किया जाय इस पर विचार करेंगे।

श्री जगजीवन राम : इस बारे में भी मतभेद हो सकता है और उस पर कुछ लोग अपनी यह राय दे सकते हैं कि टोटल बेन --पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए और कुछ लोग कह सकते हैं कि टोटल बैन---पूर्ण प्रतिबन्ध के बिना भी गोरक्षा हो सकती है। जब कमेटी में बैठते हैं तो 10 आदमी एक राय के हों और 2 आदमी दूसरी राय के हों, ऐसा होता है। जब कमेटियां होती है तो यह बात चलती है कि 10 आदमी एक सिफारिश करते हैं और 2 आदमी नोट आफ डिसैन्ट देते हैं। जो आपने प्रश्न किया उसके सम्बन्ध में मैंने खुलासा किया कि सम्पूर्ण गौहत्या बन्द कर दी जाय, यह उस समिति के टर्म्स आफ रेफ्रेंस में निहित है ; यह नहीं है मैं ऐसा नहीं मानता।

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : क्या उसमें है ?

श्री जगजीवन राम : जो पहला वाक्य मैंने कहा था वह। मैंने कहा कि उसमें है कि सम्पूर्ण गोहत्या बन्द कर दी जाये।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मंत्री जी ऐसे हंस रहे हैं मानो उन्होंने कोई बड़ा भारी तीर मार लिया है।

श्री जगजीवन राम : भारी चीज कोई सामने हो तो मारने में फख्र भी हो। मैंने यह कहा था कि सम्पूर्ण गोहत्या बन्द कर दी जाये, यह भी टर्म्स आफ रेफरेंस में निहित है।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। जब ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर सदन में चर्चा हो तो मन्त्री उसे हल्केपन से न लें।

श्री नेकीराम (हरियाणा) : क्या इनके पास थर्मामीटर है कि मंत्री जी हल्केपन से ले रहे हैं या भारीपन से ले रहे हैं।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : शरीर तो भारी है।

श्री नेकीराम : यह तो ठीक है कि शरीर भारी है।

श्री सभापति : कौन सा पाइन्ट आफ आर्डर ?

श्री राजनारायण : मंत्री अनुच्छेद 48 के बाहर नहीं जा सकता।

"राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा तथा विशेषतः गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक ढोरों की नस्ल के परिरक्षण और सुधारने के लिए तथा उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए अग्रसर होगा। यानी वध का प्रतिषेध करने, वध को रोकने के लिए संघ अग्रसर होगा। अब अगर मंत्री जी अपना कोई बयान, या कोई डाइरेक्टिव या कोई गजट निकाल कर कहें कि इस पर भी विचार होगा कि वध रोका जाय या न रोका जाय मैं समझता हूं कि वह संविधान के इस अनुच्छेद के

12 Noon

विरुद्ध है। मंत्री संविधान के अनुच्छेदों से बंधा है और मंत्री की क्षमता के बाहर है यह कहना कि कोई भी कमेटी इस पर विचार करे कि वध रोका जाय या न रोका जाय। संविधान स्पष्टतः कहता है कि वध के प्रतिषेधक लिए अग्रसर होना। यह नहीं कहता है कि वध के प्रतिषेध करने के उपाय ढूढेंगे। तो सवाल यह नहीं है कि इस पर विचार करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि इस 48 अनुच्छेद के अनुरूप आज तक भारत की सरकार ने क्या किया और वध के प्रतिषेध के लिए उसको रोकने के लिए सरकार किन मायनों में अग्रसर हुई, यह इस स्पष्टीकरण में कहीं नहीं लिखा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सरकार को मर्यादित करें और कहें कि सीधे ढंग से वह इस का उत्तर दे, मजाक के ढंग से नहीं और हंस कर नहीं।

SHRI JAGJIVAN RAM : Does it deserve any reply, Sir ?

MR. CHAIRMAN : Mr. Kulkarni.

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra): Sir, I want to know from the Government this as a matter of clarification. It seems that the present attitude of the respected members of this Committee seems to be a little bit out of the way in the present conditions. Sir, I want particularly to draw your attention to the terms of reference : "The Committee will go into the question of cow protection" etc.—I do not want to go into all the terms of reference. Particularly I want a clarification on this matter : "Slaughter of cow and its progeny and having considered the matter in all its aspects, namely, constitutional, legal, economic and other relevant aspects" etc. I want to know from the Government whether it is not a fact that in the present conditions in the world and in this country, though the cow was supposed to be respected just like God, the times have changed. Now a days the cows and particularly the old cows are not useful to the agriculturists. They are actually a drag on the agriculturists and they are actually preventing their economic well being. I want a clarification from the Government that they will not be pressurised by such tactics under the name of religion or any such thing, because it is the duty of everybody in this country to look ahead and look at it from the point of view of the economic development of the masses and not from the religious aspect only.

श्री जगजीवन राम : इस का जवाब तो टर्म्स आफ रेफरेंस में ही है । इन सारे विषयों को, सारे प्रश्नों को ध्यान में रख कर समिति को अपनी सिफारिश करनी थी कि गौ रक्षा कैसे की जा सकती है और इसी लिए लिखा था कि उसमें इकोनामिक ऐस्पेक्ट, सोशल ऐस्पेक्ट और सभी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए वह अपनी सिफारिश करे और अगर सिफारिश करते हुए संपूर्ण गौ-हत्या बन्द करने की सिफारिश करे तब राजनारायण जी ने जो प्रश्न उठाया उसके संदर्भ में वह कमेटी यह भी सिफारिश करे कि संविधान में कहां-कहां संशोधन करना आवश्यक होगा ।

श्री राजनारायण : यानी संविधान निर्मात्री परिषद् बने ।

श्री नेकीराम : क्या यह जो समिति बनायी गई थी उसमें जो मेम्बर थे समिति के . . .

श्री सभापति : अगर आप को सवाल पूछना है तो मैं आप को बुला लूंगा ।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, माननीय सदस्य को पहले मौका दें । वह बेचारे बराबर खड़े होते हैं ।

SHRI KRISHAN KANT (Haryana) : Mr. Chairman, as has been quoted from the Constitution and as per the clarifications given by the Supreme Court, it is clear that the Supreme Court also holds everything that the Constitution says, and the word 'total' has been used in paragraph 2(a) and (b), and the words used by Jagatguru Shankaracharya are 'complete prohibition'. The difference seems to be regarding part (c) which says :

> "that a total ban on the slaughter of she buffaloes, bulls and bullocks (cattle or buffaloes) after they cease to be capable of yielding milk or of breeding or working as draught animals cannot be supported as reasonable in the interest of the general public and is invalid".

In view of this, can the Government in any way go beyond the interpretation of the Constitution by the Supreme Court? I think Jagatguru Shankaracharya also agrees with this thing that the constitutional Directive Principles should be applied as interpreted by the Supreme Court.

But Mr. Chairman, may I know if it is not a fact that the whole issue is tried to be made into a political issue? It is an economic and social issue, but some political parties for purposes of their own want to make it a political issue. Will the Government assure us that it will not allow the matter to be made into a political issue but that it will be solved on the basis of social and economic conditions only? In this respect may I know whether any attempts have been made by the voluntary organisations for the preservation and protection of those buffaloes, cows and cattle who have become useless? Are the Government

[Shri Krishan Kant]

of India also thinking that these Mandirs and spiritual places, where so much money is being collected, may be formed into trusts and that money may be utilised for cow protection? Will the Government of India consider the question that all the Mandirs may be formed into trusts and managed by those who have faith in those Mandirs? I know, Mr. Chairman, that they want to form trusts in Delhi and hand them over to people who have no faith in them. Will the Government of India consider that these Mandirs and spiritual places may be formed into trusts and the money available from them may be used for cow protection purposes?

DR. BHAI MAHAVIR (Delhi): Mr. Chairman, is it a general discussion or is it a clarification? Or is this an occasion to be used for casting aspersions?

SHRI KRISHAN KANT: He should not interrupt.

DR. BHAI MAHAVIR: You first referred to what the Jan Sanghis are doing. You have a Jan Sangh phobia.

SHRI KRISHAN KANT: As that will help in the implementation of the constitutional provisions, may I know in this respect what the Government of India proposes to do?

श्री जगजीवन राम : सभापति महोदय, सदस्य महोदय ने जो प्रश्न किया है उनके इस प्रश्न के भीतर कई एक प्रश्न लिपटे हुए हैं जिनका सीधा सम्बन्ध इस प्रश्न से नहीं है। जैसा कि वक्तव्य में बताया गया है, संविधान के 48वें अनुच्छेद की व्याख्या जो सुप्रीम कोर्ट ने की है, हम प्रयत्न यही कर रहे हैं कि उसके हिसाब से भिन्न-भिन्न राज्यों में कार्यवाही की जाय। अधिकांश राज्यों में उसके हिसाब से कार्यवाही हो रही है। कानून बन चुके हैं। काश्मीर से लेकर जम्मू काश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, उड़ीसा, मध्य प्रदेश ....

SHRI A. P. CHATTERJEE (West Bengal): We know all these things.

SHRI JAGJIVAN RAM: I have a purpose in saying that, if you wait.

आप समझ गये। मैं जनसंघ का कोई रेफरेंस नहीं करूंगा।

श्री सुन्दरसिंह भंडारी : मैं जानता हूं।

श्री जगजीवन राम : आधा महाराष्ट्र, आधा आंध्र में यह बंद है। लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि यह विषय राजनीतिक लाभ उठाने के लिए लाया जाता है। लेकिन आन्दोलन वहीं पर किया जाता है जहां पर कि गो-हत्या बंद है। हम प्रयत्न यही कर रहे हैं कि जहां गो-हत्या बन्द नहीं है वहां की राज्य सरकारों से भी हम अनुरोध करते हैं, उनको परसुएड करते हैं कि संविधान के 48वें अनुच्छेद की, जैसी कि सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है, उसके हिसाब से सब जगह काम चलाया जाय। जैसा कि मैंने बताया कि अधिकांश राज्यों में उस के हिसाब से कानून बन चुके हैं। जो बाकी हैं उसके लिए जैसा कि मैंने वक्तव्य में कहा है हम बराबर प्रयत्न में लगे हुए हैं कि उन राज्य सरकारों को भी हम इस पर सहमत करा सकें कि उस हिसाब से अपने राज्य में प्रयत्न करें। इसमें कोई शक नहीं है कि गैर-सरकारी प्रतिनिधियों से गो-रक्षा के काम को अधिक बढ़ाया जा सकता है और मैंने यह प्रश्न जब उठाया था तो उस सदन में अपील की थी गैर सरकारी संस्थाओं से, जो सचमुच में गो-रक्षा चाहते है, गो-हत्या बन्द करना चाहते हैं तो गो-हत्या बन्द करने का एक सरल, एक सुगम मार्ग है गो-रक्षा, गाय की नस्ल को सुधारना, उसके दूध का औसतमान बढ़ाया जाना और तभी हम गो-हत्या को बन्द कर सकते हैं।

श्री सुन्दरसिंह भंडारी : कभी न कभी तो वह सूखती है। उसके लिए क्या होगा।

श्री जगजीवन राम : उसके लिए क्या होगा यही बताने को तो कमेटी से कहा था, उस कमेटी को यही कहा था कि इसका मार्ग बता दें, उसमें विशेष लोगों को रखा और उन लोगों को रखा जो गो-रक्षा में विशेष दिलचस्पी रखते हैं, इसी

लिए उन लोगों को ही रखा कि इसका भी मार्ग बता दें कि हम क्या कर सकते हैं इस मामले में।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : इसका ही मार्ग बताने के लिए उनको रखिये, इसमें आपत्ति नहीं होगी ।

श्री जगजीवन राम : यह मार्ग भी बताने के लिए उनको रखा है ।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : वही तो झगड़ा है ।

श्री जगजीवन राम : जहां तक कि मंदिरों का प्रश्न उठाया, मैं कृष्णकान्त जी से यह कहना चाहता हूं कि जो रेलीजस इंडाउमेंट ऐक्ट के अन्दर आते हैं और जो मकसद उनका होता है उनसे वह काम कराया जा सकता है और कोई काम तो नहीं कराया जा सकता ।

श्री नेकीराम : सभापति जी, मैं यह पूछना चाहूंगा कि ये जो उप समिति के मेम्बर्स हैं वे गऊ रखने वाले हैं या नहीं।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : चौधरी नेकीराम जी को रख दीजिए।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, चौधरी नेकीराम का प्रश्न बहुत ही उचित है, सामयिक है क्योंकि अगर गऊ रखने वाले उस कमेटी में न रहें और दूसरी पार्टियों के लोग रहें तो उसका ठीक से पालन नहीं करेंगे । इसका क्लैरिफिकेशन होना चाहिए।

श्री सभापति : मैं आपसे स्पष्टीकरण नहीं चाहता उनकी बात का। श्री फूलसिंह।

SHRI PHOOL SINGH (Uttar Pradesh): It is not only the butcher's knife from which the cow suffers; the cow is being killed in a number of ways. And the problem involved in this is a very important problem.

MR. CHAIRMAN : What is the clarification that you want to ask?

SHRI PHOOL SINGH : I am putting the question.

श्री राजनारायण : फूलसिंह जी, पूछ रहे हैं, मंत्री रह चुके हैं, उनको मौका दीजिए। अगर हिन्दी में बोलें फूलसिंह जी, तो अच्छा बोलेंगे।

श्री सभापति : आप बैठे रहिये । आप हर एक चीज़ में क्यों दखल देते हैं ? आप तो बोल चुके हैं । उनको कहने दीजिए।

SHRI PHOOL SINGH : I was saying that this is a very important problem. And probably, on one point there is a deadlock. The Committee has been there for a number of years and nothing has come out. There are other problems also because, as I said, the cow is exposed at the hands of those also who go and eat cow's milk but do not feed the cow in India, only 70 per cent of the fodder . . . . .

MR. CHAIRMAN : Please ask for clarification.

SHRI RAJNARAIN : 'Those who go and eat cow's milk क्या अच्छी अंग्रेजी है ।

श्री सभापति : अच्छा, जरा उनकी बात समझने तो दीजिए।

Please ask for clarification on the statement.

SHRI PHOOL SINGH : I am asking for clarification. If the Committee starts working on other points, at least something will be done. Otherwise, this deadlock will put a stop to all these activities.

MR. CHAIRMAN : There is no clarification asked.

SHRI NIREN GHOSH (West Bengal) : Will he install a cow in this House? We wil legislate on it.

SHRI CHITTA BASU (West Bengal) It is sufficiently clear and it is also the position of the Government that there is a provision by way of Directive Principle with regard to cow protection. The Supreme Court has also interpreted it and several State Governments have passed enactments in that regard. And the Government of India has also instructed some other State Governments to make suitable amendments in conformity with the Constitution and the interpretation of the Supreme Court. Then, what was the necessity of

[Shri Chitta Basu]

having this Committee, a Committee of this nature, and of reviving the whole issue? Is it under pressure from certain religious quarters that this particular question has been once more raised, in order to create tension among the people?

SHRI JAGJIVAN RAM: If the hon. Member cares to go through the statement, he will find the answer to his question.

[THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

SHRI A. P. CHATTERJEE : It is well-known, Sir, that so far as cow-slaughter is concerned, it is the banner of the communalists. Is it or is it not a fact, does the Minister know or does he not know, that the banner of cow-slaughter is the banner of the communalists ? As far as the question of article 48 is concerned, I am not concerned with what the Supreme Court has said because the Supreme Court does change its views with the changes in the moon. Even today in the paper I have found that the Supreme Court has changed its own judgment on hospitals. Well, earlier they said that the hospital must come within the Industrial Disputes Act. Today it is said that it is not so. Therefore, as far as the Supreme Court is concerned, the less-said about them the better, the less said about those six learned people the better. Article 48 clearly says—'protection of cows and calves and other milch and draught cattle'. Whatever the Supreme Court may say, well, the rule of construction is that the rule of *ejusdem generis* should be brought in and it means only the protection of those cows and calves which are milch and which are useful or which may be used either for giving milk or for draught purposes. And what are we to do with those useless cattle? Well, you know, Sir—does the Minister also know or does not know—that the other day there was a census given of the increase in the number of cows and bulls and if the increase goes on at that rate and people do not eat them up, I think it may so happen that the people of India will be driven out by the cows and bulls and only the Jana Sanghis and cows and bulls will rule the field, and human beings will go away.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is your question ?

SHRI A.P. CHATTERJEE: This is my question.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: He is afraid of being driven out by bulls and cows.

SHRI A. P. CHATTERJEE: I am surprised to find that the great socialist, Mr. Rajnarain, also has joined the cow protection movement. And I am also a little solicitous for the welfare of Mr. Bhupesh Gupta because he has said that he is under the protection of Mr. Rajnarain.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You ask a question.

SHRI A.P. CHATTERJEE: My question is whether the Minister is aware or is not aware of the fact......

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Do you mean to say that I am under bovine protection ?

SHRI A.P. CHATTERJEE :My question is a specific question: In view of the fact that article 48 does not specifically say that useless cattle are also to be preserved, will the Minister bear that in mind when there is the question of legislation? This is my first question.

Secondly, is it or is it not a fact that according to the census useless cattle are increasing at a very fast pace? And therefore for the purpose of keeping the space free for human beings as well as for solving the food problem in the country, the Government of India should not discourage the killing of useless cattle; but I should rather say they should encourage the killing of such cattle and should try to change the food habits which inhibit the Hindus that they will not take beef. We used to take beef even earlier, in the Vedic times. Why should we not take beef now?

These are the questions.

SHRI JAGJIVAN RAM: The Supreme Court is supreme. Whatever judgment or interpretation they give, we have to bow down before that till they themselves revise their judgment or their opinion.

So far as article 48 is concerned, as has been indicated in the statement, in most of the States in the country that has been implemented by legislation or regulation. In the remaining parts, we are trying to

persuade the State Governments to implement article 48 as interpreted by the Supreme Court. I would not like to expres my opinion. I have to be guided by the *interpretation of the Supreme Court* till they themselves revise it.

SHRI A.P. CHATTERJEE: Can you not change the Constitution, if necessary?

SHRI JAGJIVAN RAM: I have always held that the best way to ensure due respect to the cow in this country is not by bovine arguments but by improving the breed of the cows so that the yield per cow increases and the cow is taken care of, the milch cattle are taken care of as they are taken care of even in the countries where the cow is not held in reverence.

श्री निरंजन वर्मा (मध्य प्रदेश) : श्रीमन् मैं बड़ी गम्भीरता के साथ इस सदन में कुछ तथ्य कृषि मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। इस देश में बहुमत के लोग तो ऐसे हैं जो पूजा पद्धति में विश्वास करते हैं और गऊ उनके लिये निश्चित रूप से एक पूजा की वस्तु है, जिस तरह कि पिता भी एक पूजन की वस्तु होती है, लेकिन हमारे देश में ऐसे भी आदमी हैं जो पिता का भी वध कर डालते हैं तो उनके लिये हम नही कह सकते कि वह गाय का वध करने की बात न कहें। मैं श्रीमान् से यह पूछना चाहता हूं, कि कमेटी जो बनायी गई थी, उस समय जो माननीय सदस्य उसके चुने गये थे, वे क्या एक ही विचारधारा के ऐसे चुने गये थे, आफिशियल मेम्बर्स, जिनसे कि आगे चल कर गोरक्षा महा अभियान समिति के सदस्यों को यह मालूम पड़ा कि उनके साथ बैठने से आगे चल कर कोई लाभ नहीं मिलने वाला है और महा अभियान समिति ने कृषि मंत्रालय के लिये अपने पत्र में लिख दिया कि एक वर्ष के तजुर्बे के बाद हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि हम तीन सदस्यों के अलावा सम्भवत: जो और सदस्य हैं, उनसे हमारा किसी तरह से इस बात में टकराव नहीं होगा। उस पत्र के पाने के बाद फिर मंत्री महोदय का यह अनुरोध करना कि वह बनें रहें, क्या यह उचित है ?

M19RS/70—2

दूसरी बात यह है कि जो वर्तमान संविधान है उस संविधान की व्याख्या तो सुप्रीम कोर्ट ने की, अर्थात् अब जो यह कानून बन गया, उसके अनुसार तो व्याख्या जजेज ने कर दी लेकिन इस कोटी का निर्माण हो जाने के बाद अगर उस कमेटी की यह राय आए कि देश में सम्पूर्ण रूप से गो-वध बंद होना चाहिये, तो उसके अनुसार क्या इम्प्लीमेंटेशन करने के लिये आपका मंत्रालय संविधान में संशोधन करने के लिये भी तैयार होगा या नहीं, यह मैं पूछना चाहता हूं।

श्री जगजीवन राम : गऊ को माता माना गया है।

SHRI A. P. CHATTERJEE : What children! I have sympathy for the children.

श्री जगजीवन राम : गऊ को माता माना गया है, उसकी पूजा भी होती है...

SHRI A.P. CHATTERJEE: There should be supply of beef in Parliamentary Restaurants.

श्री जगजीवन राम : लेकिन हम अपनी भक्ति भावना में इतना बह जाते हैं कि हम यह भूल जाते है कि माता का पेट लड्डू से नहीं भरता है, उसका पेट भूसा से भरता है। यही होता है इस देश में। यह भी हम मानते हैं गऊ माता है, पूजनीय है, लेकिन इसी देश में यह होता है कि माता जब तक दूध देने वाली है चूस-चूस कर दूध निकालेंगे, जब माता बूढ़ी हो जाय तो हमारे घर में उसके लिये स्थान नहीं। मै चाहता था कि यह डिमान्ड होती कि कोई भी आदमी जो बूढ़ी गाय हो जाने के बाद उसको बेचेगा वह क्रिमिनल ऐक्ट करेगा, उसको सजा होगी..

श्री निरंजन वर्मा : बिलकुल सही बात है।

(Interruptions)

श्री जगजीवन राम : आए नाम-आफिशल रिजोल्यूशन। यह कहा गया कि सदस्यों के साथ मतभेद है। तो मैंने इसका जवाब पहले दिया है कि किसी भी समिति में बैठकर

[श्री जगजीवन राम]

पहले से यह निश्चय कर लेना कि सभी सदस्य एक मत के होंगे तभी हम विचार करेंगे, कुछ अजीब सी प्रणाली मालूम होती है। मगर मैं यह जरूर बता दूं कि अधिकांश जो उसमें थे, सरकारी या गैर सरकारी, उनमें ब्राह्मण सदस्यों का बाहुल्य था।

श्री निरंजन वर्मा : ब्राह्मण के प्रश्न का जहां तक संबंध है····

श्री जगजीवन राम : मैंने अभी जवाब नहीं दिया। अंत में सवाल आया कि संविधान को हम परिवर्तित करेंगे कि नहीं। तो संविधान में कोई संशोधन करने का अधिकार लोक सभा को ही है।

श्री निरंजन वर्मा : यानी, सरकार क्या इस प्रकार का कोई विचार रखती है?

(*No reply*)

श्री राजनारायण : मै पुन: आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह सवालों का जवाब देने की जो परम्परा बना रखे हैं उससे थोड़ा अलग हों। मैं जानना चाहता हूं मंत्री जी इसको स्पष्ट करें कि कमेटी में जो रखे गये थे वह ज्यादातर ब्राह्मण थे। इसके मानी क्या है? ऐसा क्यों कहा मंत्री ने? क्या आज यहां पर यह विवाद हो रहा है ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण का? क्या यहां पर विवाद हो रहा है द्विज और अद्विज का, क्या यहां पर विवाद हो रहा है हिन्दू और मुसलमान का? इसलिये अनावश्यक ढंग पर मंत्री इस विवाद को बढ़ा रहे हैं।

श्री उपसभापति : आप सवाल पूछिये।

श्री राजनारायण : यह सवाल है, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि मंत्री के दिमाग के कोने में वह कौन सी छिपी हुई बात है जिस बात को प्रकट करने···मंत्री कहना चाहते है कि उस कमेटी में ज्यादातर ब्राह्मण थे क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत से ब्राह्मण भी गोमांस खाते हैं, मैं जानता हूं बहुत से मुसलमान गोमांस नहीं खाते, मैं जानता हूं बहुत से हरिजन, चमार, गोमांस नहीं खायेंगे। इसलिये संकुचित दृष्टि से उत्तर देना, यह इस सदन का अपमान है, सारे संविधान का अपमान है।···

श्री जगजीवन राम : जिस व्यक्ति की जो भावना होती है वह उसी दृष्टि से उस चीज को समझता है, वह ऊंची दृष्टि से नहीं समझ सकता।

श्री उपसभापति : आपका सवाल क्या है?

श्री राजनारायण : एक सवाल है; मुझे स्पष्टीकरण चाहिये। माननीय मंत्री ने क्यों कहा उसमें ज्यादातर ब्राह्मण ही है। उनको गरम होने की जरूरत नहीं। हम उनकी बात को ख़ब जानते है और हम भी गरम होकर बहुत सी बात जो नहीं कहना चाहते हैं वह भी कह देंगे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि चित्त बासु की बात को सुनकर के मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसी कमेटी बनाई क्यों। क्या किसी के दवाव में आकर? मैं उनसे कहना चाहता हूं इसमें दबने या न दबने की बात नहीं है। एक हमारे मित्र ए० पी० चटर्जी साहब नये इस सदन में आए है, वह अकसर एक नयी बात कह दिया करते हैं। मैं आपके द्वारा अदब के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि गोरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेवारी अनावश्यक ढंग पर केवल जनसंघ पर न डाली जाये क्योंकि उनके कहने से अर्थ निकलता है कि कुछ संप्रदायवादी लोग इसको कराते हैं। मैं जानता हूं, और मैं अपने बारे में साफ कहना चाहता हूं, कि मैं चाहता हूं गऊ की रक्षा हो। मैं साफ कह देना चाहता हूं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि गऊ की रक्षा हो।

श्री एस० डी० मिश्र (उत्तर प्रदेश) : हम सब लोग चाहते हैं।

श्री राजनारायण : मै कहता हूं, सुभाषचन्द्र बोस कहते थे गऊ की रक्षा हो।

SHRI A.P. CHATTERJEE: Never.

श्री शीलभद्र याजी (बिहार) : आपका सवाल क्या है ?

श्री राजनारायण : सवाल यह है कि जो नेता सुभाषचन्द्र को नहीं जानते है वे न कहें ।

SHRI A.P. CHATTERJEE: I am not a supporter of Bose. But Bose never said that.

SHRI RAJNARAIN : I know Bose more than Shri A.P. Chatterjee knows him.

मैं श्री सुभाषचन्द्र बोस को ज्यादा जानता हूं बनिस्बत ए० पी० चटर्जी के ।

श्री उपसभापति : हम तो आपका सवाल जानना चाहते हैं ।

श्री राजनारायण : अगर ए० पी० चटर्जी गोमांस खाना चाहें अपनी तंदुरुस्ती के लिये, तो मै चाहता हूं उनको जरूर इजाज़त मिलनी चाहिए, वे खायें, हमको इसमें ऐतराज नहीं है । सरकार की जिम्मेदारी सामूहिक है, सरकार बनती है जिम्मेदारी के लिये और व्यक्ति अलग अलग हैं, सरकार एक समूह है । मेरा यह कहना है कि सरकार का दृष्टि-कोण क्या है, वह अपने दृष्टिकोण का स्पष्टी-करण करे । तो मैं स्पष्ट ढंग से कहना चाहता हूं कि गो-रक्षा का सवाल सम्प्रदायवाद, गैर-सम्प्रदायवाद, प्रगतिवाद और प्रतिक्रियावाद, इन रोचक शब्दों में न बांधा जाय । गौ-रक्षा का प्रश्न एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि किस तरह से हमारी गऊ सम्पदा स्वस्थ रहे, किस तरह से उनकी नश्ल अच्छी हो, किस तरह से गायों का दूध ठीक हो जिससे हमारी जनता की तन्दुरुस्ती ठीक रहे, इन तमाम बातों का अच्छी प्रकार से मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री उपसभापति : अब आप बैठ जाइये ।

श्री जगजीवन राम : माननीय सदस्य ने बहुत सी बातें कहीं और ऐसी कोई खास बात नहीं है जिसका जवाब देना आवश्यक है । उन्होंने ब्राह्मण की बात की । यह मैंने इसलिए कहा कि आमतौर पर इस देश में धार्मिक नेता के रूप में और गौ रक्षा के रूप में माने जाते हैं और इसी संदर्भ में मैंने यह बात कही । कोई सोच समझकर ब्राह्मण ही उसमें रखे, यह बात नहीं है ।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, उन्होंने क्या कहा, हम सुन नहीं सके । उन्होंने जानबूझकर ब्राह्मण शब्द··

श्री जगजीवन राम : मैं कहूंगा इस बात को कि है और इसमें जो सत्य है उसको मैं नहीं छिपाऊंगा ।

(Interruptions)

श्री राजनारायण : श्रीमान्, वे क्या कह रहे हैं ।

श्री उपसभापति : बाद मे पता चलेगा कि वे क्या कह रहे है । आप उन्हें कहने तो दीजिये ।

श्री राजनारायण : जो वे कहते है दबी आवाज से कहते हैं जिससे यह मालूम नही होता है कि वे क्या कह रहे है । यह मेज पीटना असभ्यता माना जाता है ।

(Interruptions)

श्री जगजीवन राम : चमार गो मांस नहीं खाता है, ब्राह्मण खाने वाले मिल जाते है , इस बात की यहां पर कोई आवश्यकता नही है ।

(Interruptions)

श्री राजनारायण : ब्राह्मण शब्द क्यों कहा ?

श्री जगजीवन राम : ब्राह्मण शब्द इसलिए कहा क्योंकि वह तथ्य है ।

श्री राजनारायण : श्रीमन् मैं आप से कहना चाहता हूं कि आप संविधान की रक्षा करे । संविधान के अन्तर्गत ब्राह्मण, चमार, भंगी, नाई, ठाकुर, सब को कमेटी में रखा जाना चाहिये और इस तरह से जान बूझकर यह मंत्री संविधान की हत्या कर रहा हैं । जो जानकार हो, चाहे वह मुसलमान हो, चाहे हिन्दू हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे चमार हो,

[श्री राजनारायण]

वह कमेटी में रहे। ब्राह्मण के लिए कोई खासियत नहीं है कि वह इस कमेटी में रहे।

श्री जगजीवन राम : खासियत है और समाज में भी है। सत्य को नहीं भुलाया जा सकता है और तथ्य को नहीं छिपाया जा सकता है।

श्री राजनारायण : क्या श्रीमती इन्दिरा नेहरू गांधी ब्राह्मण है।

श्री जगजीवन राम : राजनारायण सोशलिस्ट हो गये तो वे क्या भूमिहार नहीं है।

श्री राजनारायण : राजनारायण जाय जहन्नुम में। मैं फिर कहना चाहता हूं कि यह मंत्री इस देश को जहन्नुम में ले जायेगा। राजनारायण इन्सान है। न वह ब्राह्मण है, न वह भूमिहार है, न चमार है, न भंगी है, वह तो एक इन्सान है और राजनारायण एक इन्सान है।

श्री उपसभापति : राजनारायण जी सवाल के जवाब को समझो और सुनो।

श्री जगजीवन राम : दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि न मैंने किसी को रूढ़िवादी कहा और न ही पोंगापंथी कहा। मैंने इन शब्दों का तो इस्तेमाल ही नहीं किया और श्री राजनारायण के दिमाग में यह बात कहां से आ गई कि मैंने यह शब्द कहे। मैंने कभी यह नहीं कहा और न मैंने कभी इन शब्दों का इस्तेमाल ही किया। मैं किस लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करता क्योंकि इनके कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इन शब्दों का सवाल उठा ही नहीं।

श्री राजनारायण : श्रीमन, मैं यह··

श्री उपसभापति : आप उनकी बात पूरी तो सुन लें।

श्री जगजीवन राम : दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मने खुद यह कहा है कि गो रक्षा का असल जो सवाल है वह गाय की नस्ल को सुधारना है। गाय को किस तरह से हम अच्छी तरह से रख सकते हैं, गाय के दूध को किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें है जो आवश्यक है और जिनकी ओर हमें काम करना है। इस तरह से हम गो रक्षा के मामले को अधिक तेजी से बढ़ा सकते हैं और यही कारण है कि हमने एक समिति बनाई थी जो हमें अपनी राय दे। जब उसकी सिफारिश आयेगी तो हम उस पर विचार करेंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Bhupesh Gupta.

श्री मानसिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश) : हमारी बारी कब आयेगी।

श्री उपसभापति : आपकी पार्टी की तरफ से श्री सुन्दर सिंह भंडारी जी को बुलाया गया और श्री निरंजन वर्मा जी को बुलाया गया। इस हाउस में 200 से भी ज्यादा मेम्बर है। अगर हरएक को कालिंग अटेन्शन के संबंध में बुलाया जायेगा तो किस तरह से काम चलेगा।

श्री मानसिंह वर्मा : आपको तो समय देना ही होगा। जो नहीं चाहता है उसको तो आप समय दे रहे हैं। उनसे भी पहले से हम उठ रहे है।

श्री उपसभापति : कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से अभी तक कोई नहीं बोला।

Every party should get a chance to seek clarifications.

श्री मानसिंह वर्मा : स्पष्टीकरण कोई भी मांग सकता है।

श्री उपसभापति : कालिंग अटेन्शन में हर पार्टी को क्लैरिफिकेशन करने का मौका दिया जाता है और हर मेम्बर को देना मुमकिन नहीं है।

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, going through the statement, I must say that I feel a little confused as to exactly what the Government is aiming at. The background of this anti-cow slaughter agitation is well known in the country. As far as the Constitution is concerned, the caption itself of article 48 of the Directive Principles,

which again is not enforceable, says "Organisation of agriculture and animal husbandry." In that contest, the cow slaughter question or the protection of certain categories of cows was considered by the Constituent Assembly and certain decisions were taken; whether they were right or wrong, I am not going into that. Now we would not like this to be enlarged in order to impose what they call an overall ban. You must stick to the words of the *Constitution*; now of course, they say "as interpreted by the Supreme Court." But we discuss also sometimes interpretations and judgments of the Supreme Court. Why, for example, we are not in a position to discuss this question *de novo*, if necessary, from a progressive, secular angle and from the point of view of our economy and animal husbandry? If there is any lacuna, that should be removed. The Constitution should not be amended to suit the wishes of certain retrograde, revivalist, communal forces in the country. Now, some time ago. I brought to the notice of this House an issue of *Organiser* whose front page contained the picture of the head of a cow—"Mother Cow Weeping." Mother Cow is weeping all the time, I know.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please put your question.

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, this is very important because Mr. Golwalkar is here and he is being consulted. In that special number of '*Organiser*' on anti-cow slaughter, on the front page there was a full-page picture of the head of a cow with tears rolling down. Mother Cow weeps Sir, I am nct one of those who regard cow as our mother.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is your question ?

SHRI BHUPESH GUPTA: I want a clear assurance from the Government—Shri Jagjivan Ram will kindly give it—that this question will not be handled, if at all it is handled in future, in such a manner that the communal, revivalist forces, the so-called worshippers of cow who kill the cow spiritually, get any encouragement whatsoever. It shall not be handled in a manner that the communal forces in the country can exploit this issue, when they are getting isolated, to rouse certain elemental and backward passions among certain sections of the people in order to make political aggrandisement. We know what happened on the 7th November 1966 when the so-called anti-cow slaughter demonstration took place in Delhi. (*Interruption*) Those who are weeping for cows should stop manslaughter first in Ahmedabad, Ranchi and other places. Those who are guilty of manslaughter should not harangue on anti-cow slaughter.

(*Interruptions*)

SHRI JAGJIVAN RAM: The eloquence of my friend, Mr. Bhupesh Gupta, is quite impressive. But if he goes through the statement, he will find answers to all the doubts that he has raised.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right, Mr. Varma, only one brief question.

SHRI BHUPESH GUPTA: But, Mr. Deputy Chairman, this is not proper. I could not catch him. Shri Jagjivan Ram said that he made a statement and that I should look for my answer there. If I had found that answer I would not have sought the clarification...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : When you asked a question, he gave the reply and you kept quiet.

SHRI BHUPESH GUPTA: No, no. The fact that you allowed me to seek a clarification presupposes that at least I could not find the answer, and having not found the answer I would not like to be again referred back to the statement. Will Shri Jagjivan Ram kindly expand himself on the subject a little ? Expandable he is.

SHRI JAGJIVAN RAM: My answer will be very simple, that we know all this problem of cow protection in the context of the social and economic development of the country , and in that spirit, in that context, the whole thing has to be examined. And if you look into the statement...

SHRI BHUPESH GUPTA: No, no.

SHRI JAGJIVAN RAM: ... if you look into the terms of reference, you will be convinced that the approach of the Government is what you like it to be.

श्री मानसिंह वर्मा : श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अपने स्पष्टीकरण में कई बार इस बात पर बल दिया है कि गो हत्या को रोकने का सबसे बड़ा साधन यह है कि उसकी रक्षा की जाय, उसकी नस्ल सुधारी जाय, उसके लिए और प्रयत्न किए जायं और उन लोगों की तरफ भी उन्होंने ध्यान दिलाया है जो गो रक्षा की बात करते हैं और कहा है कि वे भी ऐसा करें। किन्तु माननीय मंत्री जी यहां पर सरकार के प्रवक्ता है, वे बताएं कि सरकार की ओर से गो संवर्द्धन और संरक्षण के लिए अब तक क्या प्रयत्न किए गए हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार आपकी तरफ से मुर्गी-पालन, मछली-पालन, सुअर-पालन के लिए डिपार्टमेंट्स खोले गए हैं और उसके लिए बड़ा रुपया दिया जा रहा है, उसी प्रकार से गो-पालन के लिए अब तक क्या क्या प्रयत्न किए गए हैं ?

श्री जगजीवन राम : मैं बहुत अदब के साथ माननीय सदस्य को कहूंगा कि फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के बजट को पढ़ने का वे कष्ट करें तो उनको जवाब मिल जायगा कि मुर्गी-पालन है, सुअर-पालन है तो उसके साथ गौ-पालन भी है। मैं यह दावा कर सकता हूं—अज्ञानता सब प्रश्नों की जननी नही होनी चाहिए अगर यहां मुर्गीपालक हैं तो कृषि मंत्रालय में गोपाल भी है।

श्री शीलभद्र याजी : मैं एक बात पूछना चाहता हूं। कांस्टीट्यूशन में दुधारू पशुओं के लिए है। गाय दूध देती है, भैंस दूध देती है, बकरी भी दूध देती है, घोड़ी भी दूध देती है . . .

श्री जगजीवन राम : गदही भी देती हैं, ऊंटनी भी देती है।

श्री शीलभद्र याजी : जो दूध देगी वह माता हो जायगी, तो क्या यह सब माताओं में शुमार की जाएंगीं और क्या इनकी रक्षा के लिए सरकार कुछ कर रही हैं ?

श्री जगजीवन राम : माननीय सदस्य कमेटी के टर्म्स आफ रेफरेंस को पढ़ें।

That is a Cow Protection Committee and not a Mare Protection Committee.

SHRI G. RAMACHANDRAN (Nominated): Sir, Gandhiji's name has been brought into the picture and I would say a sentence or two about it and then ask the Minister a question. Nobody in modern India has tried to take care of cattle, particularly, the cow, more than Mahatma Gandhi. He started an organisation called the *Go Seva Samiti*. But at no time in his utterances or in his writings did he ever ask for a legal ban against cattle-killing That is number one.

Does the Minister know and has he not got enough facts and data in his hands to prove that no country in the world ill-treats the cow and the bullock more than Hindu India and that no community takes less care of and looks after the interests of the cow than the community which is now vociferously asking for a ban on cow slaughter? Does he know it?

SHRI JAGJIVAN RAM: I will refer the honourable Member to many of the publications where there are obvious facts on the cow, how much yield it gives. . (*Interruption*). . they are cows that will not give even one pound of milk in twenty-four hours—all these things are there. Great care has to be taken to improve the breed of cows. I have been repeating that that is one of the ways in which to ensure cow protection.

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON (Kerala): Sir, reference has been made to the tradition of worshipping the cow. May I point out to the Minister that we in India have also been accustomed to worshipping pigs? The pig, the *Varaha*, is one of the ten *avatharas*, and there are so many temples devoted to the *Varaha*. So, I would like to know whether the Government will think of bringing forward a legislation prohibiting pig slaughter along with cow slaughter. Secondly, in a country like India where the large majority of the people are suffering from malnutrition and lack of proteins in their food, I would like to know whether it is advisable to ban cow slaughter legally because beef is a rich

source of proteins for human beings. In view of this, will the Government drop completely the idea of banning cow slaughter

SHRI A. P. CHATTERJEE: And beef is a tasty dish also.

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON: Because it prevents the Indian people from having recourse to a rich source of proteins, rich food?

SHRI JAGJIVAN RAM: The Supreme-Court ruling is given in the statement that has been circulated. (*Interruptions*) I am afraid the acceptance of the suggestion of the honourable Member will become *Ultra vires* of that ruling.

डा० भाई महावीर : महोदय, इस सवाल पर कुछ बिलकुल असंगत बातें लाई गई हैं, मैं उनमें नही जाऊंगा । मैं एक बात मंत्री महोदय के ध्यान में लाऊंगा कि आपने जो वक्तव्य दिया है उसके चौथे पैराग्राफ में आपने कहा है——

"The Committee will suggest ways and means for the effective implementation of the provisions of Article 48 of the Constitution and also give full consideration to any suggestion that the Constitution should be amended to bring about a total ban on the slaughter of cow and its progeny.

इन वाक्यों का अगर कुछ अर्थ है तो यह है कि जो अनुच्छेद 48 है उसके अनुसार गोरक्षण के लिए यह कमेटी विचार करेगी और यदि उस अनुच्छेद मे कोई कमी दिखाई देती हैं तो उस दृष्टि से, 'टोटल बेन' की दृष्टि से संविधान के संशोधन की बात भी सोचेगी । यह कहने के बाद यहां पर हमें बताया गया है कि कमेटी ने कुछ स्पष्टीकरण मांगा और उस स्पष्टीकरण के लिये जाने के बाद——

"The clarification given in the Ministry's communication dated 10th August was accepted by the members of the Committee."

मैं जानना चाहता हूं कि जब यह स्पष्टीकरण मान लिया गया इस कमेटी के द्वारा तो बाद में

"The same question was again raised by the members representing the Sarvadaliya Goraksha Mahabhiyan Samiti."

जिस कमेटी ने आपके स्पष्टीकरण को एकबार मान लिया उसी कमेटी ने वह प्रश्न दुबारा उठाया इसका कारण क्या है ? हमारे मित्र श्री कृष्ण कान्त को हर जगह जनसंघका हौआ दिखाई देता है, मुझे उनसे हमदर्दी है । लेकिन मुझे पूछना यह है कि इस कमेटी के अन्दर जुडीशियल आदमी जस्टिस राम प्रसाद मुखर्जी भी थे, वे किसी पोलिटिकल मोटिव से वहा पर नहीं थे, वे जुडीशियल माइन्ड रखने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने पहले स्पष्टीकरण स्वीकार किया, उसके बाद फिर ऐसी स्थिति क्यों आई कि वे उस समिति से अलग हो गए ? क्या इसका कारण यह नहीं है कि जो उस कमेटी के अध्यक्ष हैं या सरकार के प्रतिनिधि है उन्होने कोई ऐसी नई व्याख्या कोई नया इन्टरप्रिटेशन दिया जो पहले की सरकार की नीति के साथ मेल नही खाता था ? नही तो साल भर काम करने के बाद अगर आप का वहां स्टेंड था तो कमेटी के तीन वरिष्ठ सदस्य क्यों उस को छोड़ने के लिए तैयार हुए ? मैं नही समझ सका कि क्यों उन को विभ्रम हुआ या क्यों उन के दिमाग में कोई शंका आई । एक बात मैं और कहना चाहूंगा । जब विधान की बात कही गयी और यहां पर कहा गया कि गोवधबंदी की मांग रखने वाले जनसंघी है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि वे सारे जनसंघी ही थे जिन्होने संविधान बनाया और जिन्होंने अनुच्छेद 48 को उस के अंदर रखा । मुझे इस में गौरव है । लेकिन इस को बढ़ा कर हमारे मित्र कहते हैं कि भारत मे गौवें बहुत हैं, हमारे सी० पी० (एम०) के भाई का कहना है कि वे बहुत है इस लिए उन्हें काट कर खाने के प्रयोग में क्यों न लाया जाय, इस को बढ़ावा क्यों नहीं देती सरकार । मैं श्री चटर्जी को बताना चाहता हूं कि जहां से आप का दिमाग चलता है उस देश, चीन में तो खाने के लिए कोई चौपाया छोड़ा नही जाता सिवाय मेज के,

[डा० भाई महावीर]

और पानी की कोई चीज छोड़ी नहीं जाती सिवाय नाव (किश्ती) के, और आकाश में उड़ने वाली चीजों में कोई चीज छोड़ी नही जाती सिवाय पतंग के। तो चीन वालों के ढंग से सोच कर· · ·

(*Interruption*)

श्री उपसभापति : आप अपनी बात कहें।

डा० भाई महावीर : हम लोगों पर भी कटाक्ष हुए हैं और जिन्होंने कटाक्ष किये हैं उनको उस का जवाब भी सुनना चाहिए।

श्री उपसभापति : आप जवाब सुनाने के लिए नहीं हैं। आप क्लैरिफिकेशन पूछने के लिए खड़े हुए है।

डा० भाई महावीर : मैं जवाब दे रहा हूं सवाल पूछने के लिए। अब मै सवाल ही पूछ रहा हूं। तो जब यह मांग की जाती है तो कल उनके दल का कोई सदस्य यह भी मांग कर सकता है--क्योंकि उन के दल के लोग दूसरे दल के कार्यकर्ताओं का कत्ल करना अपना अधिकार समझते है--कि हमारे पास खाने की कमी है, इसलिए मनुष्य को खाया जाये क्या उनमें से कोई आदमी का मांस खाने की दलील क्यों नहीं देगा यह मैं जानना चाहता हूं और इसी संदर्भ में मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या जो संविधान ने कहा और जो इस कमेटी के टर्म्स आफ रेफरेंस में लिखा गया और गोरक्षा के लिए जो यह अनुच्छेद है इस के संदर्भ मे और जरूरत पड़ने पर इस दृष्टि से संविधान के संशोधन का सुझाव देने के लिए क्या यह समिति विचार करेगी। इन्हीं सीमाओं के अंदर रह कर वह समिति कार्य करेगी या जिस तरह से प्रोग्रेसिवइज्म के नाम पर यहां वितंडावाद खड़ा किये जाने का प्रयत्न किया गया है उस के दबाव में सरकार आ जायेगी ?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The hon. Minister.

SHRI NIREN GHOSH: They have developed the art of killing....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order, order please, Mr. Niren Ghosh.

SHRI NIREN GHOSH:....as a fine art and it is exhibited all over India on a wide scale.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order, order please.

DR. BHAI MAHAVIR: The hon. Member is not the Minister yet though he may be an appendage of the Prime Minister.

श्री जगजीवन राम : उपसभापति जी, भाई महावीर और श्री चटर्जी के डुएल में मैं पड़ना नहीं चाहता। मैंने उनके प्रश्नों के उत्तर में भी कहा था जब तक संविधान का 48 वां अनुच्छेद है और जब तक उस की व्याख्या जो सुप्रीम कोर्ट ने की है वह है, यह सरकार के लिए लाजमी है कि राज्य सरकारों से प्रयत्न कर के उस के ऊपर अमल कराएं।

जहां तक टर्म्स आफ रेफरेंस का प्रश्न है, मैं ने उस का पहले भी जवाब दिया। मैं उस समिति मे नहीं था। जो कुछ हमारे पास रिपोर्ट आयी उस के आधार पर कह सकता हूं कि कुछ गवाहों के दबाव आये। उन्होंने कुछ भ्रान्ति पैदा की। उसके बाद समिति में बहस हुई और समिति में बहुत बड़े-बड़े लोग है। सुप्रीम कोर्ट के एक अवकाश प्राप्त चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस श्यामा प्रसाद मुकर्जी हैं, उस के अलावा भी हमारे देश के कुछ महान व्यक्ति उस में हैं। अब वहां पर उनके अंदर यह कुछ वहम पैदा हुआ टर्म्स आफ रेफरेंस के बारे में। जो टर्म्स आफ रेफरेंस हैं वह सदन के और सभी सदस्यों के सामने हैं। मैं उसके संबंध में क्या कह सकता हूं। उस कमेटी के सामने भी वही टर्म्स आफ रेफरेंस है और समिति को उस टर्म्स आफ रेफरेंस की परिधि के भीतर रह कर काम करना है। मैं तो बराबर यही कहूंगा कि उस परिधि में उनको काम करना चाहिए और बाहरी बातों का ख्याल उनको नहीं करना चाहिए।

डा० भाई महावीर : जो क्लैरिफिकेशन सरकार ने इस बार दिया और कमेटी ने मान

लिया उस क्लैरिफिकेशन के बाद ऐसा कौनसा नया प्रश्न या नया इंटरप्रिटेशन हुआ कि यह क्राइसिस उस कमेटी में पैदा हो गया इस के बारे में भी तो आप कुछ जानते होंगे वह बताइये न?

श्री जगजीवन राम : इसमें भेद यही पर हुआ कि कुछ सदस्यों की यह राय हुई कि संपूर्ण प्रतिबंध के अलावा दूसरी बातों पर विचार नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ सदस्यों की राय थी कि संपूर्ण प्रतिबंध के साथ साथ अन्य प्रश्नों पर भी विचार किया जा सकता है। मतभेद यही पर हुआ। उसके बाद वहां पर फिर यह बहस हुई कि सरकार से फिर खुलासा किया जाय। फिर समिति ने खुद निश्चय कर लिया कि सरकार से खुलासा कराने की जरूरत नहीं। हमने एक बार खुलासा कर लिया है। मतभेद यहीं पर हुआ।

श्री उपसभापति : ठीक है।

REFERENCE TO REMARKS MADE BY A GOVERNMENT OFFICIAL WHILE INAUGURATING A TALK ON TELEVISION ABOUT THE WORKING OF GOVERNMENT OFFICES

श्री आबिद अली (महाराष्ट्र) : उपसभापति जी, हमारी सरकार के दफ्तरों की कार्य पद्धति ऐसी हो गयी है कि जब तक खूबसूरत लड़कियां और शराब की बोतलें पेश न की जायें, एक टेबल से दूसरे टेबल तक फाइल नहीं जाती। यह मै नहीं कह रहा हूं। This is what I heard myself an official of the All India Radio to say.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you speaking on the Commissions of Inquiry (Amendment) Bill?

SHRI ABID ALI: No, Sir. This is another item and the Chairman has given me permission to raise this item.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, you are right.

SHRI ABID ALI: The English version of what I said in the beginning is that the system of working of Government offices has become such that no file would move from one table to another unless beautiful girls and liquor bottles are supplied. As soon as I heard that sometime back, I wrote to....

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order, order.

SHRI ABID ALI: I am one with the hon. Member in condemning this. I don't say it but it is All India Radio. It is Indiraism that is existing in this country and Government offices have come to that extent that a Government official himself had to say it. So, Sir, as soon as I heard this, I wrote to the hon. Minister, Shri Satya Narayan Sinha, and then sent three reminders, and I am mentioning here today that even after three reminders he did not reply. And then I requested the Chairman that this matter should be mentioned here by me so that Government may have an opportunity to tell the people that this is not the system of Government offices. Although I am in the opposition I want a good system to prevail and I want that Government offices should not be maligned to that extent although there are bad officers and dishonesty. So what has the hon. Minister to say about this question?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND IN THE DEPERTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL): Sir, because I did not have prior notice for this I am not prepared to reply in detail, but I am aware that the hon. Member wrote to the hon. Minister on the subject, and I think a reply has either been sent to him or is being sent to him. The only thing that I can say at this stage is that the hon. Member has quoted something out of context totally. I am told that in the feature that was going on there was a long poem and as a part of that this also was mentioned as a satire on somebody. It was not as if it was being said as a feature by itself, and therefore it will be worth my hon. friend's while if he really quotes the whole thing and does not tear out one or two parts out of context.

SHRI ABID ALI: No, no. I am personally aware of the fact. He has information what has been given to him, which is absolutely wrong. Sir, the fact is that there was a talk, about the working of Govern-